

प्रेषक,

एफ०एन० प्रधान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्यक: दिनांक: 17 मई, 2007

विषय :- डी०एस० पब्लिक स्कूल, सरकुलर रोड, रेलवे क्वार्टर, मुजफ्फरनगर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

TRUE COPY

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्टल बोर्ड ऑफ सेलेक्टेड एन्यूटेजन्स नई दिल्ली/कोशिल आरू दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायिनेमन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

S.K. Stamp  
MANAGER  
D S PUBLIC SCHOOL  
Muzaffarnagar (U.P.)

Santosh Jami  
PRINCIPAL  
D S PUBLIC SCHOOL  
Muzaffarnagar (U.P.)

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा विवृति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रारंभ पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

TRUE COPY

भवदीय,

(एफ०एन० प्रधान)  
संयुक्त सचिव।

सूचिका एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मध्य), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मजफ्फरपुर।
- 3- जिला शिक्षण निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 4- निरीक्षक, आप्त भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, डी०एस० पब्लिक स्कूल, सरकुलर रोड, रेलवे क्वार्टर, मुजफ्फरनगर।
- 6- आई बुक।

TRUE COPY

S.K. Stamp  
MANAGER  
D S PUBLIC SCHOOL  
Muzaffarnagar (U.P.)

H. आता से,  
(एफ०एन० प्रधान)  
संयुक्त सचिव।

Santosh Jami  
PRINCIPAL  
D S PUBLIC SCHOOL  
Muzaffarnagar (U.P.)